संदर्भः आईआरडीएआई/एफ&आई/आदेश/विविध/64/04/2024
Ref.: IRDAI/F&I/ORDER/MISC/64/04/2024

अंतिम आदेश
Final Order

एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में
In the matter of Edelweiss Tokio Life Insurance Company Ltd

[उपर्युक्त बीमाकर्ता को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस (एससीएन) दिनांक 18 जनवरी 2024, उक्त बीमाकर्ता से उक्त एससीएन के लिए प्राप्त उत्तर दिनांक 06 फरवरी 2024, तथा तदुपरांत सदस्य (जीवन) और सदस्य (वित्त व निवेश) की अध्यक्षता में 04 मार्च 2024 को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) के प्रधान कार्यालय, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगूडा, हैदराबाद में आयोजित वैयक्तिक सुनवाई के दौरान बीमाकर्ता के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों के आधार पर]

[Based on the Show Cause Notice (SCN) dated 18th January, 2024 to the said insurer, reply received to the SCN dated 06th February, 2024 from the insurer, and subsequent submissions made by the insurer during personal hearing held at the office of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Authority), Financial District, Nanakramguda, Hyderabad, on 04th March, 2024, presided by Member (Life) and Member (F&I).]

पृष्ठभूमि / Background

1. प्राधिकरण ने एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (इस आदेश में इसके बाद ईटीएलआईसी अथवा बीमाकर्ता के रूप में उल्लिखित) को जीवन बीमा व्यवसाय करने के लिए सं. 147 से युक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी किया है।
   The Authority has granted Certificate of Registration (CoR) bearing No.147 to Edelweiss Tokio Life Insurance Company Ltd., (hereinafter referred as ETLIC or the insurer) to carry on life insurance business.

2. शेयरधारिता के स्वरूप (अक्तूबर से दिसंबर 2021) के संबंध में ईटीएलआईसी के मासिक प्रस्तुतीकरणों का प्रसंस्करण और विश्लेषण करते समय यह पाया गया कि 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार निवल मालियत (नेट वर्थ) में दिसंबर 2021 में प्राप्त रु. 200 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) की शेयर आवेदन राशि प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना शामिल की गई थी। बीमाकर्ता के द्वारा विभिन्न पत्रादि के माध्यम से (05 मई 2022 से 27 मई 2022 तक) किये गये प्रस्तुतीकरणों से यह देखा गया कि अधिकार शेयरों के निर्गम (राइट्स इश्यू) के माध्यम से रु. 200 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) की राशि के ईटीएलआईसी के 20,00,00,000 (बीस करोड़) अतिरिक्त ईक्विटी शेयरों का अभिदान भारतीय प्रवर्तक मेसर्स एडेलवेइस फाइनैंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड (ईएफएसएल) द्वारा किया गया था और जनवरी 2022 में उनका आबंटन किया गया था। पूँजी का उपर्युक्त आधान (इन्फ्यूज़न) भारतीय प्रवर्तक अर्थात् ईएफएसएल की शेयरधारिता को 51% से 15% बढ़ाकर 66% कर दिया।
   While processing and analysing the monthly submissions of the ETLIC with regard to the shareholding pattern, (October to December, 2021 reports), it was observed that the net worth as at 31.12.2021 included share application money of ₹200

सर्वे नं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, भारत
: +91-40-20204000 वेबसाइट : www.irdai.gov.in
Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, India
: +91-40-20204000 Website: www.irdai.gov.in

crores (Rupees Two hundred crores) received in December 2021 without prior approval of the Authority. From the submissions made by the insurer through the various communications (from 05th May 2022 to 27th May2022), it was noted that 20,00,00,000 (twenty crores) additional equity shares of ETLIC amounting to ₹200 crores (Rupees Two hundred crores) through rights issue were subscribed by the Indian Promoter M/s. Edelweiss Financial Services Limited (EFSL) and allotted in January 2022. The said infusion of capital increased the Indian promoter's i.e., EFSL shareholding by 15% from 51% to 66%.

3. इस बीच बीमाकर्ता ने पत्र ईटीएलआईसीएल/आईआरडीएआई/2023-24/609 दिनांक 13 सितंबर, 2023 के द्वारा शेयरधारकों अर्थात् मेसर्स टोकियो मरीन एण्ड निचिडो फायर इंश्योरेंस कंपनी लि. (टीएम) की स्थिति के संबंध में विदेशी प्रवर्तक से विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक के रूप में पुनर्वर्गीकरण के लिए अनुरोध किया। अपने शेयरधारकों के पुनर्वर्गीकरण के लिए बीमाकर्ता के अनुरोध पर कार्रवाई करते समय प्राधिकरण ने निम्नलिखित को पायाः-
   Meanwhile the insurer vide letter ETLICL/IRDAI/2023-24/609 dt.13th Sep 2023 requested for reclassification of the status of shareholders, i,e., M/s.Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company Ltd., (TM) from foreign promoter to foreign direct investor. While processing the insurer's request for reclassification of its shareholders the Authority noted the following: -

   i. ईएफएसएल और टीएम के बीच किया गया संयुक्त उद्यम करार दिनांक 28 नवंबर 2009 नवंबर 2021 में समाप्त हो गया है।
   The Joint Venture Agreement dated 28, November 2009 entered between EFSL and TM has expired in November 2021.

   ii. प्राधिकरण द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 2022 और 13 मई 2022 के ई-मेलों के जरिये अपनी चिंता व्यक्त करने के बावजूद, बीमाकर्ता ने पुनः सितंबर 2022 में अधिकार शेयर जारी किये हैं और यह ईएफएसएल को रु. 250.00 करोड़ (दो सौ पचास करोड़ रुपये) की पूँजी लगाने के संबंध में शेयरधारिता में आगे और परिवर्तन में परिणत हुआ है तथा ईएफएसएल की शेयरधारिता में 66% से 75.1% तक 9.1% वृदधि हुई है।
   In spite of the Authority's concern vide emails dt.21st April 22 and 13th May 2022, the insurer has again issued Rights shares in the month of September 2022 and resulted in further change of shareholding with regard to infusion of capital ₹250.00 crores (Rupees Two hundred and Fifty crores) to EFSL and increased the shareholding of EFSL by 9.1% from 66 to 75.1%.

4. बीमाकर्ता के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों की जाँच करने के उपरांत, प्राधिकरण ने 18 जनवरी 2024 को एससीएन जारी किया जिसका उत्तर बीमाकर्ता के द्वारा उनके पत्र ईटीएलआईसीएल/आईआरडीएआई/2023-24/636 दिनांक 06.02.2024 के अनुसार एक वैयक्तिक सुनवाई के लिए अनुरोध सहित दिया गया।
   On examination of the submissions made by the insurer, the Authority has issued SCN to the insurer on 18th January 2024 which was responded by the insurer vide their letter ETLICL/IRDAI/2023-24/636 dt.06.02.2024 with a request of personal hearing.

5. बीमाकर्ता के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, सदस्य (जीवन) और सदस्य (वित्त व निवेश) के पैनल के द्वारा बीमाकर्ता को वैयक्तिक सुनवाई का अवसर दिया गया। इसका आयोजन 04 मार्च 2024 को

प्राधिकरण के कार्यालय में किया गया। श्री सुमित राय, एमडी और सीईओ, श्री शुभ्रजीत मुखोपाध्याय, कार्यकारी निदेशक और श्री अंकुर चड्ढा, मुख्य विधि और अनुपालन अधिकारी बीमाकर्ता की ओर से उक्त सुनवाई में उपस्थित हुए। प्राधिकरण की ओर से श्री मनोज कुमार, महाप्रबंधक (वित्त व निवेश), श्री संजय मोहन शर्मा, उप महाप्रबंधक (वित्त व निवेश) और श्री बी.एस. वेंकटेश, सहायक महाप्रबंधक (वित्त व निवेश) उक्त सुनवाई के दौरान उपस्थित थे।

On the insurer's request, a personal hearing was granted to the insurer by a panel of Member (Life) and Member (F&I). It was held at the office of the Authority on 04th March 2024. Mr. Sumit Rai, MD & CEO, Mr. Subhrajit Mukhopadhyay, Executive Director and Mr. Ankur Chadha, Chief Legal & Compliance Officer, attended the hearing on behalf of the insurer. On behalf of the Authority, Mr.Manoj Kumar, GM (F&I) Mr.Sanjay Mohan Sharma, DGM (F&I) and Mr. B.S. Venkatesh, AGM (F&I) were present during the hearing.

कारण बताओ नोटिस (एससीएन), उत्तर और आरोप 1 पर सुनवाई
Show Cause Notice (SCN), Reply and Hearing on Charge 1

6. अपने विदेशी प्रवर्तक मेसर्स टोकियो मरीन एण्ड निचिडो फायर इंश्योरेंस कंपनी लि. (टीएम) के एक विदेशी निवेशक के रूप में पुनर्वर्गीकरण के संबंध में बीमाकर्ता के आवेदन दिनांक 13 सितंबर 2023 पर कार्रवाई करते समय बीमाकर्ता की शेयरधारिता के स्वरूप में निम्नलिखित परिवर्तन देखा गया:-

While processing insurer's application dt.13th Sep 2023 with regard to reclassification of its foreign promoter M/s. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Ltd (TM) as a foreign investor, the following change in shareholding pattern of the insurer was observed: -

निम्नलिखित तिमाही के लिए बीएपी फाइलिंग BAP filing for the quarter ending	शेयरधारकों का नाम Name of Share holders	शेयरों की संख्या No. of shares	शेयरों का % % of shares	प्रदत्त ईक्विटी (₹ लाख में) Paid up equity (₹ in lakh)	पिछली तिमाही से शेयरधारिता में % परिवर्तन % change in shareholding from the previous Qtr.
31.12.2021	ईएफएसएल EFSL	237,431,552	51%	23,743.16	--
	टीएम / TM	228,120,511	49%	22,812.05	--
31.03.2022	ईएफएसएल EFSL	437,431,552	66%	43,743.16	+ 15%
	टीएम / TM	228,120,511	34%	22,812.05	-15%
31.12.2022	ईएफएसएल EFSL	687,431,552	75.1%	68,743.10	+9.1%
	टीएम / TM	228,120,511	24.9%	22,812.05	- 9.1%

7. जनवरी 2022 में, बीमाकर्ता ने अपने मौजूदा शेयरधारकों को अधिकार शेयरों के निर्गम का प्रस्ताव किया, जिसके लिए केवल एक ही शेयरधारक, अर्थात् मेसर्स ईएफएसएल ने उक्त निर्गम का अभिदान किया है। ईएफएसएल द्वारा अधिकार शेयरों के निर्गम के लिए अभिदान करने के परिणामस्वरूप, (i) रु. 200 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) की पूँजी का आधान (इन्फ्यूज़न) हुआ तथा

(ii) बीमा कंपनी में मेसर्स ईएफएसएल की शेयरधारिता में वर्तमान 51% से 66% तक 15% वृद्धि हुई।

In Jan 2022, the insurer has offered rights issue to its existing shareholders, to which only one of the shareholders, i.e, M/s. EFSL has subscribed the issue. Consequent upon subscribing for the rights issue by EFSL, there was (i) infusion of capital of ₹200 crores (Rupees Two Hundred Crores) and (ii) increased the shareholding of M/s. EFSL by 15% from the existing 51% to 66% in the insurance company.

8. सितंबर 2022 में, बीमाकर्ता ने अपने मौजूदा शेयरधारकों को एक बार फिर अधिकार शेयरों के निर्गम का प्रस्ताव किया है, जिसके लिए केवल एक ही शेयरधारक अर्थात् मेसर्स ईएफएसएल ने उक्त निर्गम का अभिदान किया है। ईएफएसएल द्वारा अधिकार शेयरों के निर्गम के लिए अभिदान करने के परिणामस्वरूप, (i) रु. 250 करोड़ (दो सौ पचास करोड़ रुपये) की पूँजी का आधान (इन्फ्यूज़न) हुआ तथा (ii) बीमा कंपनी में मेसर्स ईएफएसएल की शेयरधारिता में वर्तमान 66% से 75.1% तक 9.1% वृद्धि हुई।

In Sep 2022, the insurer has once again offered rights issue to its existing shareholders, to which only one of the shareholders, i.e, M/s. EFSL has subscribed the issue. Consequent upon subscribing for the rights issue by EFSL, there was (i) infusion of capital of ₹250 crores (Rupees Two Hundred Fifty Crores) and (ii) increased the shareholding of M/s. EFSL by 9.1% from the existing 66% to 75.1% in the insurance company.

9. एससीएन के लिए उत्तर के रूप में अपने पत्र दिनांक 06 फरवरी 2024 में एवं 04 मार्च 2024 को आयोजित वैयक्तिक सुनवाई के दौरान, बीमाकर्ता ने प्रस्तुतीकरण किया कि माह अप्रैल और मई 2022 के दौरान प्राधिकरण के साथ किये गये विचार-विमर्श के अनुसरण में उनके द्वारा यह समझा गया कि इस विषय में उनके प्रस्तुतीकरणों पर विचार किया गया है तथा यह मान लिया गया कि अधिकारों के आधार पर शेयरों के निर्गम के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं है। बीमाकर्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि दिनांक 27 मई 2022 के प्रस्तुतीकरणों के बाद इस विषय में प्राधिकरण से कोई संदेश नहीं था तथा इस कारण से यह माना गया कि मामला समाप्त हो गया है।

In its reply letter dated 06th February 2024 to the SCN as well as during the personal hearing on 04th March 2024, the Insurer submitted that pursuant to discussions with the Authority during the months of April & May 2022, it was their understanding that their submissions in the matter have been considered and it is construed that the prior approval of the Authority is not required for issue of shares on rights basis. The insurer further submitted that post submissions dated 27th May 2022, there was no communication from the Authority in the matter and therefore matter was considered to be closed.

10. एससीएन के लिए अपने उत्तर में बीमाकर्ता ने प्रस्तुतीकरण किया कि *"कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिकार शेयरों के निर्गम की प्रक्रिया ने उन स्थितियों में जब अधिकार शेयरों का निर्गम शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन के रूप में परिणत हुआ, पूर्व अनुमोदन के लिए प्राधिकरण से संपर्क करने में उनके लिए व्यावहारिक तौर पर कठिनाई उपस्थित की। इसके विपरीत, एक बार निर्गम की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के बाद अनुमोदन के लिए प्राधिकरण से संपर्क करना कंपनी अधिनियम, 2013 के अननुपालन के रूप में परिणत हो सकता है।"*

In reply to the SCN, the insurer submitted that *"the process of rights issues under the Companies Act, 2013 made them practically difficult to approach the Authority*

for prior approval in the events the subscription to the rights issue resulted in change in shareholding pattern. On the contrary, approaching the Authority for approval once the issue process has been initiated could result in potential non-compliance of the Companies Act, 2013."

11. बीमाकर्ता का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि रु. 200 करोड़ और रु. 250 करोड़ की शेयर आवेदन राशि क्रमशः 18 दिसंबर 2021 को और 26 सितंबर 2022 को प्राप्त की गई थीं तथा उक्त रु. 200 करोड़ और रु. 250 करोड़ की शेयर आवेदन राशियों के आधार पर ईक्विटी शेयर क्रमशः 27 जनवरी 2022 को और 27 सितंबर 2022 को आबंटित किये गये थे। यह स्पष्ट है कि शेयरों का आबंटन रु. 200 करोड़ अधिकार शेयरों के निर्गम के मामले में शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति से 37 दिन के बाद किया गया था, जबकि रु. 250 करोड़ के अधिकार शेयरों के निर्गम के मामले में शेयरों का आबंटन तत्काल अगले दिन अर्थात् 27 सितंबर 2022 को पूरा किया गया था।

The insurer's reply was not acceptable as the share application money of ₹200 crores and ₹250 crores were received on 18th December, 2021 and on 26th September 2022 respectively and the equity shares against the share application money of ₹200 crores and ₹250 crores were allotted on 27th Janaury,2022 and on 27th September, 2022 respectively. It is clear that the shares allotment had taken place after 37 days from the receipt of share application money in case of issuance rights shares of ₹200 crores. whereas, in case of issuance of rights shares of ₹250 crores, share allotment had been completed immediately the next day i.e. 27th September, 2022.

12. इस प्रकार, बीमाकर्ता ने दोनों ही अवसरों पर काफी पहले से ही यह प्रत्याशा की होगी कि इस कारण से कि टीएम अधिकार शेयरों के निर्गम का अभिदान नहीं करेगा, शेयरधारिता का स्वरूप परिवर्तित होगा तथा प्रस्तावित अधिकार शेयरों के निर्गमों के लिए रु. 200 करोड़ और रु. 250 करोड़ की पूरी शेयर आवेदन राशि का भुगतान केवल ईएफएसएल के द्वारा ही किया जाएगा। तदनुसार, ईएफएसएल को ईक्विटी शेयरों के निर्गम के लिए बीमाकर्ता को अनुमोदन की अपेक्षा करने हेतु प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए था।

Thus, the Insurer could have anticipated well in advance on both the occasions that shareholding pattern would change because of TM would not subscribe the right issue and that the entire share application money of ₹200 crores and ₹250 crores for the proposed rights issues would be paid by the EFSL only. Accordingly, the insurer should have approached the Authority to seek approval for issuance of equity shares to EFSL.

13. बीमाकर्ता बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए (4) (बी) के उपबंधों के साथ पठित आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 के विनियम 6(10) (पूर्व के आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 के विनियम – विनियम 3(क)) का पालन तथा अनुपालन न करने के लिए संतोषजनक औचित्य-प्रतिपादन नहीं कर सका।

The insurer was not able to provide satisfactory justification for not adhering to and complying with the Regulation 6(10) of IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations 2022 (Erstwhile Regulation – Reg.3 (a) of IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015) read with the provisions of Section 6A (4) (b) of Insurance Act, 1938.

14. इस संबंध में, इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 के विनियम 6(10) (पूर्व के आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 के विनियम – विनियम 3(क)) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए (4)(बी) के अनुसार, बीमाकर्ता बीमा कंपनी के शेयरों का ऐसा कोई अंतरण अथवा ईक्विटी पूँजी का निर्गम दर्ज नहीं करेगा, जो शेयरधारिता के स्वरूप में परिणत होगा, जहाँ

In this regard, it may be noted that as per Section 6A (4) (b) of Insurance Act, 1938 read with Regulation 6(10) of IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations 2022 (erstwhile Regulation – Reg.3 (a) of IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015), the insurer shall not register any such transfer of shares or issue of equity capital of an insurance company, which would result in change in shareholding, where

(i) अंतरण के बाद, बीमा कंपनी के शेयरों में अंतरिती की कुल प्रदत्त धारिता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना उसकी प्रदत्त पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है।
after the transfer, the total paid-up holding of the transferee in the shares of the insurance company is likely to exceed five percent of its paid-up capital, without the prior approval of the Authority.

अथवा / OR

(ii) जहाँ एक ही प्रबंधन के अधीन किसी व्यक्ति, फर्म, समूह, समूह के घटकों या कंपनी निकाय के द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से अंतरित किये जाने के लिए उद्दिष्ट शेयरों का अंकित मूल्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना बीमा कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक हो जाता है।
where the Nominal value of shares intended to be transferred by an individual, firm, group, constituents of a group, or body corporate under same management, jointly or severally exceeds one percent of the paid-up equity capital of the insurance company without the prior approval of the Authority.

15. उपलब्ध अभिलेखों और बीमाकर्ता के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों पर विचार करते हुए यह देखा गया है कि जनवरी 2022 में रु. 200 करोड़ के अधिकार शेयरों के निर्गम के अनुसार ईएफएसएल की शेयरधारिता 51% से बढ़कर 66% हो गई है। इसके अलावा, सितंबर 2022 में रु. 250 करोड़ के अधिकार शेयरों के निर्गम के अनुसार ईएफएसएल की शेयरधारिता आगे और बढ़कर 75.1% हो गई है। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया है कि दोनों अधिकार शेयरों के निर्गम और 75.1% की सीमा तक ईएफएसएल के पक्ष में शेयरों के परिणामी अंतरण के लिए बीमाकर्ता के द्वारा प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।

Considering the records available and submissions made by the insurer, it is noted that vide rights issue in January 2022, of ₹200 Crores, the shareholding of the EFSL has increased from 51% to 66%. Further vide rights issue in September 2022, of ₹250 Crores, the shareholding of the EFSL has further increased to 75.1%. Further, it is noted that for both the rights issue and resultant transfer of shares in favour of EFSL to the extent of 75.1%, no prior approval of the Authority has been obtained by the insurer.

16. अतः बीमाकर्ता के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों और प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि बीमाकर्ता ने शेयरधारिता में परिवर्तन के लिए प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त

न करते हुए, शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए (4)(बी) के उपबंधों के साथ पठित आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 के विनियम 6(10) (पूर्व के आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के द्वारा ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 के विनियम – विनियम 3 (क)) का उल्लंघन किया है।

Hence, from the submissions made by the insurer and the documents available on record of the Authority, it is evident that the insurer, by not obtaining prior approval from the Authority for the change in shareholding, has violated Regulation 6(10) of IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations 2022 (Erstwhile Regulation – Reg.3 (a) of IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015) read with the provisions of Section 6A (4) (b) of Insurance Act, 1938, for change in shareholding pattern.

17. प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना अधिकार शेयरों के निर्गम के माध्यम से बीमा में वर्तमान 51% से 75.1% तक शेयरधारकों में से एक शेयरधारक अर्थात् मेसर्स ईएफएसएल की शेयरधारिता में 24.1% परिवर्तन बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए (4) (बी) के उपबंधों के साथ पठित आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) के विनियम 6(10) (पूर्व के आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 के विनियम – विनियम 3(क)) का उल्लंघन है। अतः बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. पर रु. 20 लाख (केवल बीस लाख रुपये) का अर्थदंड लगाता है।

The change in shareholding of one of the shareholders, i.e., M/s. EFSL by 24.1% from the existing 51% to 75.1% in the insurance through issuance of rights shares, without prior approval of the Authority is violation of Regulation 6(10) of IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations 2022 (Erstwhile Regulation – Reg.3 (a) of IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015) read with the provisions of Section 6A (4) (b) of Insurance Act, 1938. Therefore, in exercise of the powers vested under Section 102 of the Insurance Act, 1938, the Authority imposes a penalty of ₹20 Lakh (Twenty Lakhs only) on Edelweiss Tokio Life Insurance Company Ltd.

कारण बताओ नोटिस (एससीएन), उत्तर और आरोप 2 पर सुनवाई
Show Cause Notice (SCN), Reply and Hearing on Charge 2

18. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 26 के अनुसार, जब भी ऐसा कोई परिवर्तन घटित होता है अथवा किया जाता है जो ऐसे किसी भी विषय को प्रभावित करता है जिनके संबंध में पंजीकरण के लिए बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए धारा 3 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अंतर्गत अपेक्षित है, तब बीमाकर्ता ऐसे परिवर्तन का पूरा विवरण प्राधिकरण को तत्काल प्रस्तुत करेगा।

As per Section 26 of the Insurance Act, 1938 whenever any alteration occurs or is made which affects any of the matters which are required under the provisions of sub-section (2) of section 3 to accompany an application by an insurer for registration, the insurer shall forthwith furnish to the Authority full particulars of such alteration.

19. इस संबंध में, यह पाया गया है कि (i) मेसर्स ईएफएसएल और (ii) मेसर्स टीएम के बीच किया गया संयुक्त उद्यम करार नवंबर 2021 के दौरान समाप्त हो गया है।

In this regard, it was observed that the Joint Venture Agreement dated 28th November, 2009 entered between (i) M/s. EFSL and (ii) M/s.TM has expired during November 2021.

20. बीमाकर्ता ने ई-मेल दिनांक 04 नवंबर 2023 के अनुसार कहा है कि निम्नलिखित का वक्तव्य देते हुए प्राधिकरण को एक ई-मेल दिनांक 09 दिसंबर 2021 भेजा गया है—"*बोर्ड की बैठक में, यह भी पाया गया कि एडेलवेइस और टोकियो मरीन, कंपनी के शेयरधारकों के बीच जेवी करार समाप्त हो गया है*" बीमाकर्ता ने यह भी कहा कि संशोधित पारस्परिक करार के लिए चर्चा जारी है।
The insurer vide email dated 04th Nov, 2023 has stated that an email dated 09th December, 2021 was sent to the Authority stating the following- *"In the Board meeting, it was also noted that the JV agreement between Edelweiss and Tokio marine, the shareholders of the company has expired"*. The insurer also said that the discussion is on for revised mutual agreement.

21. बीमाकर्ता ने आगे कहा कि बारह वर्ष की अवधि के लिए करार बीमा कंपनी के पंजीकरण के समय किये गये प्रस्तुतीकरणों का एक भाग पहले से ही रहा है तथा इस कारण से प्रारंभ में ही परिकल्पित है तथा प्राधिकरण से अनुरोध किया कि यह परिवर्तन केवल उपर्युक्त करार के परिणाम के रूप में ही है।
The insurer further stated that the agreement for the period of twelve years was already a part of the submissions made at the time of the registration of insurance company and hence envisaged at the inception itself and requested the Authority that this alteration was as a consequence of the said agreement only.

22. इस स्थिति के होते हुए कि उक्त करार केवल बारह वर्ष के लिए ही किया गया है, बीमाकर्ता के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण पर विचार किया गया। तथापि, बीमाकर्ता को ऐसे किसी भी परिवर्तन, जो महत्वूपर्ण स्वरूप का हो, की अद्यतन जानकारी प्राधिकरण को देने के लिए सूचित किया गया।
The submission made by the insurer was considered given that the agreement was made for twelve years only. However, the insurer is advised to update the Authority of any such alterations that are material in nature.

23. निर्णयों का सारांशः इस आदेश में निर्णय का सारांश निम्नलिखित हैः
Summary of Decisions: The following is the summary of the decision in this order:

आरोप सं. Charge No.	**आरोप का संक्षिप्त नाम और उपबंध जिसका उल्लंघन किया गया Short title of the charge and the provision violated**	**निर्णय Decision**
1.	बीमाकर्ता ने प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन किये हैं The insurer has carried out changes in Shareholding pattern without obtaining prior approval of the Authority बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए (4) (बी) के उपबंधों के साथ पठित आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) का विनियम 6(10) (पूर्व के आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 का विनियम – विनियम 3 (क)) Regulation 6(10) of IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations 2022 (Erstwhile Regulation – Reg.3 (a) of IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015) read with the provisions of Section 6A (4) (b) of Insurance Act, 1938	₹20 लाख / Lakh

2.	बीमाकर्ता ने (i) मेसर्स ईएफएसएल और (ii) मेसर्स टीएम के बीच किये गये संयुक्त उद्यम करार दिनांक 28 नवंबर 2009 की समाप्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है जो नवंबर 2021 के दौरान समाप्त हो गया है। The insurer has not submitted the details of expiry of the Joint Venture Agreement dated 28th November, 2009 entered between (i) M/s. EFSL and (ii) M/s.TM was expired during November 2021. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 26 के अनुसार - पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत विववण में परिवर्तन सूचित किये जाने चाहिए। As per Section 26 of Insurance Act, 1938 - Alterations in the particulars furnished with application for registration to be reported.	परामर्शी Advisory

24. इस आदेश के आरोप-1 के अंतर्गत लगाये गये रु. 20 लाख (केवल बीस लाख रुपये) के अर्थदंड की राशि इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 45 दिन की अवधि के अंदर एनईएफटी/आरटीजीएस (जिसके लिए ब्योरा अलग से सूचित किया जाएगा) के माध्यम से विप्रेषित की जाएगी। विप्रेषण की सूचना श्री मनोज कुमार, महाप्रबंधक (वित्त व निवेश) को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे सं. 115/1, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगूडा, हैदराबाद-500032 (ई-मेल आईडीः finance.life@irdai.gov.in) के पते पर भेजी जाए।
The penalty amount of ₹20 Lakh (Twenty Lakhs only) levied under the Charge 1 of this order, shall be remitted through NEFT/RTGS (details for which will be communicated separately) within a period of 45 days from the date of receipt of this Order. An intimation of remittance may be sent to Shri Manoj Kumar, General Manager (F&I) at the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Survey No.115/1, Financial District – Nanakramguda, Hyderabad-500032 (email id : finance.life@irdai.gov.in).

25. इस आदेश की एक प्रति आगामी बोर्ड बैठक के समक्ष रखी जाएगी तथा उक्त बैठक से 15 दिन के अंदर बीमाकर्ता प्राधिकरण को विचार-विमर्श के कार्यवृत्त की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।
A copy of this order shall be placed before next Board meeting and within 15 days of the said meeting, the insurer shall submit a copy of the minutes of discussion to the Authority.

26. यदि बीमाकर्ता इस आदेश में निहित किसी भी निर्णय से असंतुष्ट है, तो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपील प्रस्तुत की जा सकती है।
If the insurer feels aggrieved by any of the decisions in this order, an appeal may be preferred to the Securities Appellate Tribunal, Mumbai as per the provisions of Section 110 of the Insurance Act, 1938.

(राजय कुमार सिन्हा / Rajay Kumar Sinha)
सदस्य / Member (वित्त व निवेश / F&I)

(बी. सी. पटनायक / B.C.Patnaik)
सदस्य / Member (जीवन / Life)

स्थान / Place: हैदराबाद / Hyderabad

दिनांक / Date : 04.04.2024